"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 अक्टूबर 2009— आश्विन 24, शक 1931

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं मोहन लाल देशलहरे आत्मज श्री मनीराम देशलहरे, उम्र 45 वर्ष, निवासी-76/जी, रिसाली सेक्टर भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने पुत्र प्रफुल चंद जिसकी जन्मतिथि 20-8-91 है का नाम परिवर्तन कर प्रफुल देशलहरे रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को प्रफुल देशलहरे आत्मज मोहन लाल देशलहरे के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
प्रफुल चंद आत्मज मोहन लाल देशलहरे निवासी-76/जी, रिसाली सेक्टर, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	प्रफुल देशलहरे आत्मज मोहन लाल देशलहरे निवासी-76/जी, रिसाली सेक्टर, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास अनुविभाग अधिकारी, पाटन, जिला- दुर्ग (छत्तीसगढ़)

दुर्ग, दिनांक 22 अगस्त 2009

प्रारूप-चार
[नियम 5(1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिए]

क्रमांक /1577/प्र-1/अविअ/2009.— चूंकि गायत्री परिवार ट्रस्ट, गायत्री प्रज्ञापीठ, देवबलौदा, की ओर से न्यासी डोरीलाल साकिन देवबलौदा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग ने छत्तीसगढ़ पब्लिक लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 24-09-2009 को विचार के लिये लिया जायेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, पी. तिर्की, पंजीयक लोक न्यास, अनुविभाग पाटन, जिला दुर्ग का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 24-09-2009 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम और पता : गायत्री परिवार ट्रस्ट, गायत्री प्रज्ञापीठ देवबलौदा, ग्राम देवबलौदा, तहसील पाटन जिला दुर्ग (छ. ग.)

2. चल संपत्ति : नगद में 22967/- दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक देवबलौदा, जिला दुर्ग

3. अचल संपत्ति :

मौजा	ख. नं.	रकबा
देवबलौदा	105/1 में से	0.03 हे. / 0.07 डि.
कुल रकबा :		0.03 हे.

आज दिनांक 19-08-2009 को मेरे स्वत: के हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

पी. तिर्की
पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक लोक न्यास, कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2009

रा. प्र. क्र./ब-113/2009-2010

[छ. ग. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 5(2) तथा छ. ग. पब्लिक ट्रस्ट नियम की धारा 5 (1) के अन्तर्गत]

क्रमांक /2088/वाचक-1/2009.— चूंकि श्री एस. एस. डी. बड़गैया, प्रभारी, फिल्ड निदेशक, अचानकमार टायगर रिजर्व, बिलासपुर, छ. ग. ने " बाघ संरक्षण फाउण्डेशन अचानकमार टायगर रिजर्व " को छ. ग. पब्लिक ट्रस्ट की धारा 4 के तहत पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नाटिस के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात् 30 दिनों के अंदर इस न्यायालय में न्यायालीन दिवस एवं समय में स्वंय अथवा अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	:	बाघ संरक्षण फाउण्डेशन अचानकमार टायगर रिजर्व बिलासपुर (छ. ग.)
2.	चल संपत्ति	:	निरंक
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

एस. एल. गुप्ता,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव वन मण्डल, राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 25 सितम्बर 2009

आदेश क्र. /मा. चि./8-14/स्थापना/6180.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पार्श्व में अंकित आकृति का पासिंग हेमर (सी. बी. ओ. कार्य बाबत्) परिक्षेत्र अधिकारी खुज्जी, (डोंगरगांव) को इस कार्यालय के चालन क्रमांक/136 दिनांक 15-02-2005 के द्वारा जारी किया गया था. जिसे श्री एम. एल. क्षत्री, उप वनक्षेत्रपाल स. प. अ., खुज्जी ने चिन्हांकित हेमर बिगड़े वनों के सुधार वृक्षारोपण में सी. बी. ओ. के संचालन के दौरान हेमर कहीं गुम हो गया. लेकिन उक्त पासिंग हेमर को काफी खोजबीन का अथक प्रयास किया गया, लेकिन हेमर नहीं मिला.

अतः दिनांक 28-08-2009 को शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त हेमर के गुमने बाबत् रिपोर्ट F. I. R. पुलिस थाना डोंगरगांव में दर्ज कराया गया.

अत: वन वित्तीय नियम की धारा 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त पासिंग हेमर को अभिलेख से अपलेखन किया जाता है तथा गुमशुदा हेमर की अनुमानित कीमत 100/- (एक सौ रुपये मात्र) सहायक परिक्षेत्र अधिकारी श्री एस. एल. क्षत्री उपवनक्षेत्रपाल से एकमुश्त वसूल करने का आदेश दिया जाता है तथा उनकी इस लापरवाही के लिये उन्हें चरित्रावली चेतावनी दी जाती है. यदि किसी व्यक्ति को उक्त हेमर मिले तो उसे समीपस्थ पुलिस थाना अथवा वन कार्यालय में जमा करें. यदि कोई व्यक्ति उसे अनाधिकृत रूप से रखेगा अथवा उपयोग करते हुये पकड़ा जावेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 के अंतर्गत अभियोग लगाया जावेगा तथा दण्ड का भागी होगा.

के. के. बिसेन,
वन मंडलाधिकारी.

वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़ वन मण्डल, जिला-रायगढ़

धरमजयगढ़, दिनांक 17 सितम्बर 2009

आदेश क्रमांक/मा. चि./04.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पार्श्व में दर्शाया गया पासिंग हेमर 300 R G को श्री सचिदानंद मिश्रा वनपाल द्वारा दिनांक 15-04-2009 को कक्ष क्रमांक 647 में भ्रमण के समय गुमा दिया गया जो आज तक नहीं मिला है. इसकी सूचना पुलिस धरमजयगढ़ में दिनांक 20-4-2009 को दी गई है.

वन वित्तीय नियम की धारा 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त गुमशुदा पासिंग हेमर 300 RG वनमण्डल के स्टाक से अपलेखित किया जाता है उपरोक्त हेमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो वे कृपया निकटतम थाने में अथवा वन मण्डल कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गुमशुदा हेमर को अनाधिकृत रूप से रखने अथवा उपयोग में लाते पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

उक्त गुमशुदा पासिंग हेमर की कीमत रु. 125.00 (रु. एक सौ पच्चीस) मात्र श्री सचिदानंद मिश्रा वनपाल से वसूल करने के आदेश जारी किये जाते हैं. साथ ही हेमर जैसी महत्वपूर्ण वस्तु सुरक्षित न रखते हुए शासकीय कार्य में असावधानी बरतने के कारण श्री सचिदानंद मिश्रा वनपाल को चेतावनी दी जाती है.

सी. एस. तिवारी,
वन मंडलाधिकारी.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उत्तर बस्तर कांकेर

कांकेर, दिनांक 25 सितम्बर 2009

क्रमांक/उपंकां/परिसमापन/2009/561.—कार्यालीयन आदेश क्रमांक/उपंकां/निर्वा./असाख/2009/356 दिनांक 3-7-09 द्वारा मत्स्य सहकारी समिति मर्या., पी. व्ही. 81 बांदें पं. क्र. 23 का निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था. किन्तु संस्था के सदस्यों ने निर्वाचन कराने में असफल रहे. फलस्वरूप कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंकां/परि./09/386 दिनांक 10-7-09 के द्वारा उक्त संस्था को कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित किया गया था. किन्तु संतोषप्रद जवाब प्राप्त नहीं हुआ इस संबंध में क्षेत्र के स. वि. अ. द्वारा भी लिखित अनुशंसा कर परिसमापन में लाने की सिफारिश की गई है.

अत: मैं, सी. एल. ध्रुव, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कांकेर छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत एवं सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ-7-3/सह15/2436 रायपुर दिनांक 13-6-01 के द्वारा मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 70 के अन्तर्गत मत्स्य सहकारी समिति मर्या., पी. व्ही. 81 बादें, पं. क्र. 23, तहसील पखांजूर का परिसमापक श्री ए. आर. नेताम, सह. निरी. को नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 25-09-09 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

सी. एल. ध्रुव,
उप पंजीयक.

कार्यालय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पाटन एवं परिसमापक, जनपद प्रायमरी शिक्षक साख समिति मर्या., पाटन पं. क्र. 1765

पाटन, दिनांक 14 सितम्बर 2009

क्र./परिसमापन/2009/Q-1.—छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57(2) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नलिखित परिसमापन समितियों के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में प्रमाण सहित 60 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में कार्यालय जनपद पंचायत, पाटन में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध लेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की अंतिम कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति के पास संस्था का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंपेंगे अन्यथा कानूनन दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्रमांक (1)	परिसमापन समिति का नाम (2)	पं. क्र./ दिनांक (3)
1.	जनपद शिक्षक साख समिति मर्या., पाटन	1765/27-3-63
2.	कुक्कुट पालन सह. समिति मर्या., पाटन	2161/30-6-78
3.	विद्युत उद्वहन सिंचाई सह. समिति, जमराव	1806/13-11-63
4.	विद्युत उद्वहन सिंचाई सह. समिति, केसरा	2084/23-3-69
5.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., सिरसाकला	2307/08-07-77
6.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या.,टेमरी	2248/08-10-84
7.	रविन्द्र मत्स्य सह समिति मर्या.,पतोरा	1814/10-01-64
8.	विविध धातु निर्माण सह. समिति मार्या., पतोरा	1921/11-02-66
9.	क्रांति साबुन उद्योग सह. समिति मर्या., भरर	2283/1-10-88
10.	नीरा तांड़ गुड. उद्यो ग सह समिति मर्या., खर्रा	1963/08-03-67

(1)	(2)	(3)
11.	चर्म उद्योग सह समिति मर्या., डिधारी	1733/25-09-62
12.	तेलघानी उद्योग सह समिति मर्या.,केकारी	1521/10-08-60
13.	आदर्श मत्स्य उद्योग सह समिति मर्या., पहडोर	2199/09-03-61
14.	श्री बंजरंग खदान सह. समिति मर्या., सोनपुर	2313/27-02-88
15.	मत्स्य सहकारी समिति मर्या., पाहंदा	2244/04-02-84
16.	प्रगतिशील रेल्वे श्रमिक सह. समिति मर्या., चरोदा	2150/28-03-77

एच. आर. चन्द्राकर,
परिसमापक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2009.